न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 228/2023 **निर्णय दिनांकः–** 5/8/25
(जीसीएमएस संख्या 2023/281)

1. रामकुमार पुत्र नन्दलाल जाति ब्राह्मण निवासी कुम्हारवाला तहसील रायसिंहनगर, जिला गंगानगर।

–अपीलांट

–बनाम–

1. अश्विनी कुमार पुत्र शब्द प्रकाश जाति ब्रह्मण निवासी भाडेरा तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, लूणकरणसर जिला बीकानेर।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 11–09–2023
उपखण्ड अधिकारी, लूणकरणसर

उपस्थितिः–

1. श्री संतनाथ योगी, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री जयचन्दलाल सारस्वत, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट् ने उक्त अपील उपखण्ड अधिकारी, लूणकरणसर के आदेश दिनांक 11–09–2023 जिसके द्वारा अपीलांट की वरीयता समालपेच की भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांट की खातेदारी भूमि वाके तहसील लूणकरणसर के चक 258–030 आर.आर.डी. में मुरब्बा नम्बर 68/24 के किला नम्बर 1 ता 4, किला नं. 7 ता 14, किला नं. 17 ता 23 में तादादी 17.07 बीघा खातेदारी भूमि है। अपीलांट की खातेदारी भूमि मुरब्बा नं. 68/24 में किला नं. 5, 6, 15, 16, 24, 25 में तादादी 06 बीघा कमाण्ड भूमि स्मालपेच के लिए आवंटन हेतु उपलब्ध थी। उक्त भूमि के लिए अपीलांट द्वारा आवेदन कर रखा था लेकिन अपीलांट के आवंटन की पत्रावली को गायब कर दिया गया। अपीलांट द्वारा दिनांक 14–10–2023 को हल्का पटवारी के पास स्मालपेच में आवंटन के लिए पुछताछ करने गया तो हल्का पटवारी ने अपीलांट को बताया कि उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को स्मालपेच में आवंटन कर दी गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर गौर किये बिना अपीलाधीन अराजी का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में कर दिया गया जो विधिसम्मत नहीं है। स्मालपेच आवंटन हेतुप्रथम वरीयता अपीलांट की थी क्योंकि अपीलांट की भूमि अपीलाधीन अराजी के चिपती भूमि थी एवं यदि रेस्पोडेन्ट की भी वरीयता अदालत मातहत समान रूप से मानती तो भी अधीनस्थ न्यायालय को वादगत भूमि का आवंटन जरिये लॉटरी किया जाना चाहिए था। अदालत मातहत द्वारा ना केवल विधिविरूद्ध तरीके से वादगत भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है बल्कि खजानाराज को भी नुकसान पहुंचाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादगत भूमि के आवंटन से पूर्व उसी मुरब्बे के काश्तकारों को नोटिस प्रदान नहीं किया जाकर प्राकृतिक न्याय की अवधारणा का हनन किया गया है।

आगे उन्होने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन अराजी के चिपते काश्तकारों को आवंटन से पूर्व किसी प्रकार का कोई नोटिस प्रेषित नहीं किया है एवं यदि किसी प्रकार का कोई नोटिस प्रेषित किया भी गया है तो उसकी तामील विधिवत रूप से नहीं करवाई गई है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने तामील कुनिन्दा से साज–बाज करके अपीलाट के खेत में नोटिस चस्पा करना बताया है जो गलत है। अपीलांट के खेत में किसी भी तरह का कोई नोटिस चस्पा नही किया गया था, नोटिस कब चस्पा किया गया इसका उल्लेख भी नही है। गवाहन जो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हितबद्ध व्यक्ति है से तामील बाबत् सारी फर्जी कार्यवाही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने तामील कुनिन्दा व गवाहान से मिलकर करवाई है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यो पर गौर किये बिना निर्णय पारित किया है। ऐसे में स्मालपेच आवंटन नियमों के विरूद्ध किया गया आवंटन निरस्त येाग्य होने से अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में किये गये आवंटन आदेश को निरस्त फरमाया जावे।

4. विद्वानअभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा कथन किया कि अपीलांट नवनीत कुमार पुत्र हेमराज की खातेदारी भूमि चक 258–030 आर.डी.आर में मुरब्बा नं. 68/24 में किला नं. 1 ता 4 किला नं. 7 ता 14, किला नं. 17 ता 23 में तादादी 17.07 बीघा स्थित थी। उक्त भूमि पर न्यायालय हाजा का स्थगन जारी किये जाने के बावजूद अपीलांट द्वारा उक्त भूमि राम कुमार शर्मा को दिनांक 04–09–2024 को विक्रय कर दी। उक्त भूमि का बैचान किये जाने पर नवनीत के अधिकार समाप्त हो चुके है। और रामकुमार की और से अभिभाषक अपीलांट द्वारा कोई बहस नही की है। रामकुमार शर्मा द्वारा दिनांक 04–09–2024 को भूमि नवनीत से क्रय करने के बाद न्यायालय हाजा द्वारा पक्षकार संयोजित करने पर अपील में आया है। जो पूर्व में आदेश पारित हुएहै उन आदेशो का रामकुमार से किसी प्रकार का सरोकार नही है।

उन्होने आगे कथन किया कि रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 द्वारा दिनांक 16–02–2023 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्माल पेच आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसील स्तर से वादगत भूमि की रिपोर्ट प्राप्त की गई उक्त रिपोर्ट में वादगत भूमि शुद्ध रूप से अराजीराज होने, विवादग्रस्त नहीं होने, किसी अन्य श्रेणी में आरक्षित नही होने, अनिवार्य वन पट्टी का नहीं होने तथा अन्य किसी श्रेणी हेतु प्रस्तावित नहीं होने की स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादगत भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट को किया गया है। रेस्पोडेन्ट के पक्ष में आवंटन होने के पश्चात रेस्पोडेन्ट्स द्वारा आवंटित भूमि की

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

समस्त राशि खजानाराज में जमा करवाई जा चुकी है एवं मौके पर अपीलांट काबिज काश्त होने से वादगत भूमि पर रेस्पोडेन्ट के अधिकार स्थापित होने से अपीलांट किसी प्रकार का कोई अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलांट के कथनों का विरोध करते हुए कथन किया कि वादगत भूमि पर केवल मात्र अपीलांट की ही पात्रता नहीं थी बल्कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी भूमि भी समान चक में होने के कारण दोनों की पात्रता समान थी।

5. उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता अपीलांट की मुख्य बहस यह रही है कि अपीलाधीन अराजी का आंवटन के वक्त अपीलांट का आवेदन लंबित था किन्तु अपीलांट की पत्रावली गायब कर दी गई। अपीलांट को बिना नोटिस दिये वगैर एकपक्षीय अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया जो कि खारिज योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने जवाब बहस में कथन किया कि अपीलांट नवनीत कुमार द्वारा न्यायालय के स्थगन आदेश के उपरांत अपीलाधीन आराजी दिनांक 04–09–2024 को बेचान कर दी गई। अतः अपीलाधीन आराजी के बैचान करते ही अपील स्वतः हीinfectiousहो चुकी है। इस आराजी मे नवनीत कुमार के अधिकार समाप्त हो चुके है। रामकुमार द्वारा दिनांक 04–09–2024 को नवनीत कुमार से जमीन खरीदी है इसलिए बाबत आवंटन रामकुमार को कोई locus standi हासिल नही थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए आवंटन किया गया है अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन एवं अभिभाषक उभय पक्ष की बहस से प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि अपीलांट नवनीत कुमार व रेस्पोडेंट अश्विनी आवंटित अराजी के चिपते काश्तकार है। स्मॉल पेच भूमि के आवंटन के नियम 14 के अनुसार "**Notwithstanding anything to the contrary contained in these rules, small patch of government land may be alloted, to a tenure tenant whose tenure land adjoins such patch, subject to the ceiling area at**

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

the index price for land of a similar soil class in the neighbourhood.

In case more than one tenants apply for allotment of same small patch, allotment shall be made to the tenant of same murraba.''

उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि स्माल पेच भूमि आवंटन के लिए Tenure tenant होना आवश्यक है। अपीलांट व रेस्पोडेन्ट दोनो अपीलाधीन आवंटित भूमि के चिपते काश्तकार है। परन्तु ववक्त आवंटन रेस्पोडेंट का एकमात्र आवेदन ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लंबित था। अभिभाषक अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है जिससे यह साबित हो कि अपीलांट का आवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लंबित है। पत्रावली गायब होने पर अपीलांट द्वारा कोई कार्यवाही की गई। इस संबंध में भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किये गये। अतः यह तथ्य साबित नही होता है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

चूंकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट का एकमात्र आवेदन लंबित था। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए रेस्पोडेंट को आवंटन में कोई त्रुटि कारिज नही की है।

साथ ही यह भी स्वीकृत स्थिति है कि दिनांक 18–10–2023 द्वारा इस न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आराजी के भूमि व रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखने के आदेश पारित किये गये थे। अपीलांट द्वारा स्थगन आदेश के प्रभावी रहते हुए भी दिनांक 04–09–2024 को अपीलाधीन आराजी रामकुमार को बेचान कर दी। चूंकि नवनीत कुमार अपीलाधीन आराजी का बेचान कर चुका है अतः अपीलाधीन आराजी में उसके अधिकार समाप्त हो चुके है। रामकुमार ने न्यायालय के स्थगन के बावजूद अपीलाधीन अराजी क्रय की है रामकुमार के इस अराजी में अधिकार दिनांक 04–09–2024 को सृजित हुए है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 11–09–2023 का है। अतः रामकुमार को पूर्ववर्ती प्रभाव से इसमें locus standi हासिल नही होती है।

राजस्व अपील अधिका
बीकानेर

6. उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूणकरणसर का आदेश दिनांक 11—09—2023 यथावत बहाल रखा जाता है।

7. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 5/8/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

ट